न्यायालय: – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आप.प्रक.कमांक :- 326 / 2016) <u>(संस्थित दिनांक :- 20 / 06 / 2016)</u>

> म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

<u>/ / विरूद्ध / /</u>

- गब्बर सिंह यादव पुत्र बाबू सिंह यादव उम्र 51 वर्ष। 01.
- सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र बाबू सिंह यादव उम्र 46 वर्ष। 02.
- वीरेन्द्र सिंह यादव पुत्र बाबू सिंह यादव उम्र 36 वर्ष। 03.
- कृष्ण सिंह यादव पुत्र बाबू सिंह यादव उम्र 33 वर्ष। 04. निवासीगण :- ग्राम देहगांव, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 06/07/2017 को घोषित)

अभियुक्तगण गब्बर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह एवं कृष्ण सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 02/06/2016 की सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी दिनेश सिंह का घर स्थित ग्राम देहगांव आम रास्ता पर, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी दिनेश यादव को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दिनेश, रणवीर एवं अशोक की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सुरेन्द्र ने आहत अशोक की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं सहअभियुक्तगण ने लाठी-डण्डा एवं लात-घूसों से दिनेश एवं रणवीर की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी दिनेश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 02/06/2016 की सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी दिनेश सिंह का घर स्थित ग्राम देहगांव आम रास्ता पर, आरोपीगण द्वारा फरियादी दिनेश से गाली-गलौच करने, उसकी, रणवीर एवं

अशोक की लाठी—डण्डों, लात—घूसों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी दिनेश यादव द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2016 अन्तर्गत धारा 323, 294 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी दिनेश सिंह, आहतगण रणवीर सिंह, अशोक सिंह, साक्षीगण संजीव एवं अलवेल सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण गब्बर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह एवं कृष्ण सिंह के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण दिनेश सिंह, रणवीर सिंह एवं अशोक सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 01. क्या आरोपी सुरेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 02/06/2016 की सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी दिनेश सिंह का घर स्थित ग्राम देहगांव आम रास्ता पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत अशोक की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सुरेन्द्र ने आहत अशोक की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी दिनेश यादव अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण श्रीकृष्ण, सुरेन्द्र, गब्बर एवं वीरेन्द्र को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 28/11/2016 से लगभग चार—पाँच माह पूर्व की होकर सुबह साढ़े छः बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण रास्ते में बिजली

का खम्बा डाल रहे थे, उसने खम्बा डालने से रोका तो आरोपीगण से गाली–गलौच हुई। उसके बाद आरोपी वीरेन्द्र ने उसको कुल्हाड़ी मारी, जो उसके बाये आंख के उपर भौंह पर लगी। आरोपी वीरेन्द्र ने उसके पीठ में लाठी मारी थी, उसके बाद वह बैहोश हो गया था। उसके बाद रिपोर्ट अशोक एवं रणवीर ने थाना मौ में की थी, रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका उसके सामने नहीं बनाया था, नक्शा-मौका प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था तथा उससे पृछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी दिनेश अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी सुरेन्द्र ने उसके भाई आहत अशोक के माथे पर दाहिने तरफ कुल्हाड़ी मारी थी, अथवा नहीं। इस प्रकार आरोपी स्रेन्द्र द्वारा आहत अशोक को कुल्हाड़ी मारकर उपहति कारित करने के संबंध में दिनेश अ.सा.02 लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं उसके पुलिस कथन के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है। जहाँ तक आरोपी वीरेन्द्र द्वारा आहत दिनेश अ.सा.02 को कुल्हाड़ी मारकर उपहति कारित करने का प्रश्न है, वहाँ उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं उसके पुलिस कथन में दर्शित नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में भी फरियादी दिनेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

08. आहत रणवीर सिंह अ.सा.03 एवं अशोक सिंह अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी सुरेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक :— 02/06/2016 की सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी दिनेश सिंह का घर स्थित ग्राम देहगांव आम रास्ता पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर अशोक को स्वेच्छयाँ उपहित कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। आहत अशोक अ.सा.04 का मेडीकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर के.एल.गोयल अ.सा.01 ने भी आहत को कारित छिले हुये घाव किसी धारदार आयुध से कारित होना दर्शित ना करते हुए सख्त एवं भौथुरे आयुध से कारित होना दर्शित किया है, इस वावत उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

09. आरोपीगण एवं फरियादी / आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहत रणवीर सिंह अ.सा.03 एवं अशोक सिंह अ.सा.04 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह ने दिनांक : 02/06/2016 की सुबह लगभग 06:30 बजे फरियादी दिनेश सिंह का घर स्थित ग्राम देहगांव आम रास्ता पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत अशोक की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त सुरेन्द्र ने आहत अशोक की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहित कारित की।

- 11. अभियोजन आरोपीगण गब्बर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह एवं कृष्ण सिंह के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद